

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-12/2018) के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-12/2018) राँची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक-28.09.2019 एवं 29.09.2019 को निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है:-

क्र० सं०	परीक्षा की तिथि	समय	विषय	स्वरूप	पूर्णांक
1.	28.09.2019	प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक एवं	प्रथम पत्र (प्रथम पाली) द्वितीय पत्र (द्वितीय पाली)	विषयनिष्ठ	प्रत्येक पत्र 100 अंक
2.	29.09.2019	द्वितीय पाली अपराह्न 2:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।	तृतीय पत्र (प्रथम पाली) चतुर्थ पत्र (द्वितीय पाली)		

2. परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश-पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

ह०/-

परीक्षा नियंत्रक

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची-834001

झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा
(विज्ञापन संख्या-12/2018) परीक्षा का कार्यक्रम।

संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश-पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नवत् हैं:-

1. इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. आयोग के वेबसाईट www.jpssc.gov.in पर प्रवेश-पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था की गई है।
3. आयोग के वेबसाईट पर www.jpssc.gov.in दिनांक-11.09.2019 से अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र, अनुदेश एवं उपस्थिति पत्रक संबंधित लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन नं० एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र (Admit Card) प्राप्त करने में कठिनाई हो तो आयोग के **Helpline No. 0651-2213009/222111** पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
4. यदि प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/रौल नं० पर (X) का चिह्न आता है (जो इन्टरनेट स्पीड कम होने के कारण हो सकता है) तो प्रवेश पत्र पुनः डाउनलोड करें।
5. यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से अपना प्रवेश पत्र, अनुदेश एवं उपस्थिति पत्रक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे आयोग के पूछताछ काउन्टर पर दिनांक-27.09.2019 से पहले कार्यालय अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन नं० एवं जन्म तिथि सहित आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं।
6. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गए प्रवेश पत्र उपस्थिति पत्रक एवं परीक्षा केन्द्र की जांच कर लें। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर दिनांक-27.09.2019 से पहले लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा लें इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक आवेदन के समय अपलोड किये गये फोटो की एक स्वहस्ताक्षरित प्रति (Passport size) एवं एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ ले जायें, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
8. अभ्यर्थी अपने उत्तर पत्रक/ओ0एम0आर0 सीट में आवश्यक जानकारियां प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र, ओ0एम0आर0 सीट के पार पृष्ठ पर अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्ट करें। ओ0एम0आर0 पत्रक में सही एवं वांछित सूचनाएँ अंकित/नहीं भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य-पुस्तिकाएँ, खाद्य-सामग्री, पानी की बोतल एवं अस्त्र-शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
10. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित अवधि से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आनेवाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलम्ब तक आने वाले परीक्षार्थी को स्वविवेक से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा-भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

11. विकलांग कोटे के अभ्यर्थी श्रुतलेखक (Scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जायेगा।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।